न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/... मजिस्ट्रेट

शीर्षक.. बनाम..................

प्रकरण : संख्या–

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
	4-10-24 वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थिति पीठासीन अधिकारी राज काज भ्रमण/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक..10-1-25.....को पेश हो।
	10.01.25 पत्रा० पेश हुई अधि० प्रार्थी अनु० जवाब/रिपोर्ट मे विपक्षी पैरोकार द्वारा दि० 08.04.24 को आदेशिका पर अंकन किया गया। पत्रा० वास्ते बहस दि० 21.03.2025 को पेश हो।
	21-3-25 वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थिति पीठासीन अधिकारी राज काज भ्रमण/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक...6-6-25........को पेश हो।
	6/6/25 पत्रा० पेश हुई। अधि० प्रार्थी उप०। विपक्षी पैरोकार उप०। विपक्षी पैरोकार द्वारा पत्थरगढ़ी मे आपत्ति नही होना जाहिर किया अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रकरण निस्तारण हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शा०जा० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S)
मुकदमा नम्बर – 09/2024
किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक – 14.02.2024
निर्णय दिनांक – 6/6/25

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते राजसमन्द

अनवान

1. सुरेन्द्र कुमार पिता रोशनलाल जी महाजन आयु वयस्क निवासी कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द।
2. अशोक कुमार पिता सोहनलाल जी महाजन आयु वयस्क निवासी कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द।
3. मुकेश कुमार पिता सोहनलाल जी महाजन आयु वयस्क निवासी कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द।
4. छोटूलाल पिता कन्हैयालाल जी महाजन आयु वयस्क निवासी कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द।

......................**प्रार्थीगण**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय राजसमन्द, तहसील राजसमन्द व जिला राजसमन्द।

......................**विपक्षी**

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थी – श्री मुकेश तलेसरा
विपक्षी – पेरोकार राज

निर्णय

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 पत्थरगढी कराने बाबत् पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम डूमखेडा पटवार हल्का महासतीयो की मादडी तहसील कुंवारिया के आराजी संख्या 855 रकबा 0.8903 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होकर प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है। प्रार्थीगण की भूमि के पड़ौसी अवैध रूप से अतिक्रमण कर उक्त भूमि पर नाजायज कब्जा करना चाहते हैं व सीमा विवाद पैदा करने पर आमादा है। पड़ौसियों के उक्त कृत्य को देखते हुए प्रार्थीगण की उक्त वर्णित कृषि भूमि आराजी नम्बर 855 का जो सीमा विवाद है, उसका निस्तारण आप न्यायालय द्वारा पत्थरगढ़ी के आदेश से ही संभव है, जिससे कि विवाद का स्थायी रूप से निस्तारण हो सके। इस हेतु प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 855 का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षी के विरूद्ध यह आदेश पारित फरमाया जावे कि राजस्व ग्राम डूमखेडा, पटवार हल्का महासतियो की मादडी, तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द में आराजी संख्या 855 का सीमांकन कराया जाकर पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश फरमाया जावे तथा पत्थरगढ़ी एवं सीमांकन करने हेतु तहसीलदार, राजसमन्द को आदेशित किया जावे ।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी की और से पेरोकार सरकार ने उपस्थिति दी। पेरोकार सरकार द्वारा पत्रावली पर यह नोट अंकित किया गया कि ''वादग्रस्त भूमियां प्रार्थीगण के खातेदारी की है सभी पडौसियो को सूचित कर पत्थगढी किया जाना उचित होगा।''

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

जचना

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को सुना दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम डूमखेडा पटवार हल्का महासतीयो की मादडी तहसील कुंवारिया के आराजी संख्या 855 रकबा 0.8903 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं स्वामित्व आधिपत्य की है। प्रार्थीगण आये दिन होने वाले सीमा विवाद के निस्तारण हेतु अपनी उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त भूमि का पत्थरगढी आदेश प्रदान करे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को सुनकर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज ग्राम डूमखेडा की जमाबन्दी सम्वत 2077–2077 की आराजी संख्या 855 रकबा 0.8903 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की सह खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है उक्त आराजी निर्विवादित रूप से प्रार्थीगण की की होकर प्रार्थीगण पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनिम 1956 बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कुंवारिया को कमिश्नर शुल्क राशि 2000/– रू पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौके पर निर्माण नही हो एवं किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो कब्जे को डिस्टर्ब किये बिना राजस्व ग्राम डूमखेडा पटवार हल्का महासतियो की मादडी तहसील कुंवारिया के आराजी संख्या 855 रकबा 0.8903 हैक्टेयर कृषि भूमि की नियमानुसार सीमा जानकारी कराते हुए विधिसम्मत पत्थरगढी की कार्यवाही करावे यदि मौके पर कब्जे को लेकर विवाद हो तो पत्थरगढी नहीं करा पर्चा मौका तैयार कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कमिश्नर शुल्क प्रार्थीगण अदा करे। तहसीलदार कुंवारिया को तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

M

(R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

उक्त आदेश आज दिनांक 6/6/25.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

M

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
राजसमन्द